भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1404

गुरुवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन</u>

1404. श्री बी. मणिक्कम टैगोर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 5,00,000 मेगावाट विद्युत क्षमता संस्थापित करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का एकीकृत विनिर्माण सुविधाओं के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष निवेश का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का क्रमश: लगभग 1,95,000 और 7,80,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) कॉप-26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में अब तक नॉन-फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल मिलाकर 172.72 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है। इसमें 119.09 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 46.85 गीगावाट बड़ी पन बिजली और 6.78 गीगावाट न्यूक्लियर विद्युत क्षमता शामिल है।

(ख) से (घ): मंत्रालय 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रहा है। इस योजना में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के निर्माण और बिक्री पर, चालू होने के बाद पांच वर्षों के लिए चयनित सौर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) देने का प्रावधान है।

यह योजना दो भागों में कार्यान्वित की जा रही है।

भाग-I के तहत, नवम्बर/दिसम्बर, 2021 में तीन सफल बोलीदाताओं को 8737 मेगावाट क्षमता की पूर्ण रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए आवंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किया गया है, जिसमें पॉलीसिलिकॉन, इंगोट्स-वेफर्स, सेल और मॉड्यूलों की निर्माण इकाइयाँ स्थापित करना शामिल है।

भाग-II के तहत, योजना के दिशानिर्देश दिनांक 30.09.2022 को जारी किए गए हैं और दिनांक 18.11.2022 को भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए विनिर्माण क्षमता स्थापित करने हेतु सौर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं के चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) जारी किया गया है। भाग-II में देश भर में लगभग 94,000 करोड़ रु. के निवेश के साथ पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत नई सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमताओं को जोड़ने और लगभग 1,95,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 7,80,000 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की कल्पना की गई है।

*****